न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ.रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या —61 / 2024 (अपील)
जीसीएमएस न0 2024 / 166

श्रीमती शुक्ला महाजन पत्नी स्व0 अविनाश कुमार महाजन निवासी 164 गोपाल विहार—।।, पुलिस लाईन कोटा जिला कोटा

——अपीलाण्ट.

बनाम

पंकज महाजन पुत्र स्व0 अविनाश कुमार महाजन निवासी मनदार—11 फ्लेट नं0 403, बसन्त विहार, अपोजिट बसन्त विहार हाईस्कूल, थाने वेस्ट पिन—400610 महाराष्ट्र हाल 164 गोपाल विहार—।।, पुलिस लाईन कोटा

——रेस्पोडेन्ट.

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा दिनांक 28.11.2024 प्रकरण संख्या 27 / 2022 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थितः—

1. श्री शेखर मेडतवाल, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री पंकज महाजन. रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक— 09.06.2025

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा ने प्रार्थीया अपीलांट द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की धारा 22(2), 23 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने निर्णय दिनांक 21.08.2024 को आदेश पारित किया कि—" प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रकरण पारिविारिक एवं सम्पत्ति बंटवारे का होना पतीत होता है । अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान 164 गोपाल विहार ।। पुलिस लाईन कोटा से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर किसी प्रकार की भरण पोषण राशि की मांग नहीं की गई है जिस कारण से प्रार्थीया वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम के तहत किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है । अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । उभयपक्षकारान को थाना क्षैत्र हाजा में शांति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है ।
2. अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.08.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 07.10.2024 को पेश की गई है कि अपीलान्टा एक 75 वर्षीय वृद्व व सीनियर सिटीजन महिला है उसके पति का देहावसान आठ वर्ष पूर्व दिसम्बर—2016 में हो चुका है । अपीलान्टा का एक मकान नं0 164 गोपाल विहार—।।, पुलिस लाईन कोटा में स्थित है । उक्त मकान को अपीलान्टा ने अपनी स्वअर्जित रूपयों व स्त्रीधन के माध्यम से खरीद किया है । अपीलान्टा अपने मकान में छोटे पुत्र प्रजेश कुमार के साथ निवास करती है तथा प्रजेश कुमार ही अपीलान्टा की सेवा करता है । रेस्पोडेन्ट अपीलान्टा का बडा पुत्र है जो वर्ष 2004 से एमबीए की परीक्षा पास करने के बाद मुम्बई चला गया ओर वहीं उक्त पते पर अपने परिवार के साथ निवास करता है हमेशा जब भी रेस्पो0 मुम्बई से कोटा आता है तो अपीलान्टा के निवास स्थान पर आकर हमेशा गन्दी गन्दी गालियां देता है, अपीलान्टा के साथ अपशब्दों का प्रयोग कर उसके साथ मारपीट करता है तथा उक्त मकान अपने नाम करवाने का दबाव डालता है । रेस्पो0 की उपरोक्त हरकतों

जिला कलक्टर
कोटा

के कारण अपीलान्टा ने अपने स्वनिर्मित मकान नं0 164 गोपाल विहार द्वितीय पुलिस लाईन कोट से एवं अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है जिसके बावत राजस्थान पत्रिका अखबार कोटा प्रकाशन में भी इस बावत सूचना प्रकाशित करवायी गयी है । रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 11.9.2023 को अपीलान्टा व छोटे पुत्र प्रजेश महाजन के साथ मारपीट की गई जिसकी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को देने पर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर थाना बोरखेडा कोटा द्वारा रेस्पोउेन्ट के विरूद्व एफ आई आर दर्ज कर गिरफ्तार किया एवं न्यायालय द्वारा पावन्द किया गया । रेस्पोडेन्ट की उपरोक्त हरकतों से परेशान होकर अपीलान्टा ने दस्तावेज व शपथ पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजों एवं अपीलान्टा के कथनों पर विधि सम्मत रूप से अवलोकन एवं विवेचन किये बिना ही अपीलान्टा के प्रकरण को खारिज कर दिया जो कानून न्याय एवं न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन की गई । रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित । रेस्पोडेन्ट ने दिनांक12.05.2025 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई । वकील अपीलान्ट की बहस सुनी ।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्टा एक 75 वर्षीय वृद्व व सीनियर सिटीजन महिला है उसके पति का देहावसान आठ वर्ष पूर्व दिसम्बर–2016 में हो चुका है । अपीलान्टा का एक मकान नं0 164 गोपाल विहार–।।, पुलिस लाईन कोटा में स्थित है । उक्त मकान को अपीलान्टा ने अपनी स्वअर्जित रूपयों व स्त्रीधन के माध्यम से खरीद किया है । अपीलान्टा अपने मकान में छोटे पुत्र प्रजेश कुमार के साथ निवास करती है तथा प्रजेश कुमार ही अपीलान्टा की सेवा करता है । रेस्पोडेन्ट अपीलान्टा का बडा पुत्र है जो वर्ष 2004 से एमबीए की परीक्षा पास करने के बाद मुम्बई चला गया ओर वहीं उक्त पते पर अपने परिवार के साथ निवास करता है हमेशा जब भी रेस्पो0 मुम्बई से कोटा आता है तो अपीलान्टा के निवास स्थान पर आकर हमेशा गन्दी गन्दी गालियां देता है, अपीलान्टा के साथ अपशब्दों का प्रयोक कर उसके साथ मारपीट करता है तथा उक्त मकान अपने नाम करवाने का दबाव डालता है । रेस्पो0 की उपरोक्त हरकतों के कारण अपीलान्टा ने अपने स्वनिर्मित मकान नं0 164 गोपाल विहार द्वितीय पुलिस लाईन कोट से एवं अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है जिसके बाबत राजस्थान पत्रिका अखबार कोटा प्रकाशन में भी इस बाबत सूचना प्रकाशित करवायी गयी है । रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 11.9.2025 को अपीलान्टा व छोटे पुत्र प्रजेश महाजन के साथ मारपीट की गई जिसकी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को देने पर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर थाना बोरखेडा कोटा द्वारा रेस्पोउेन्ट के विरूद्व एफ आई आर दर्ज कर गिरफ्तार किया एवं न्यायालय द्वारा पाबन्द किया गया । रेस्पोडेन्ट की उपरोक्त हरकतों से परेशान होकर अपीलान्टा ने दस्तावेज व शपथ पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजों एवं अपीलान्टा के कथनों पर विधि सम्मत रूप से अवलोकन एवं विवेचन किये बिना ही अपीलान्टा के प्रकरण को खारिज कर दिया जो कानून न्याय एवं न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक शहर कोटा को घटना की लिखित रिपोर्ट दी जिस पर पुलिस थाना बोरखड़ा द्वारा एफआईआर नं0 422 दिनांक 26.9.2023 दर्ज करली । दिनांक 1.10.23 को भी रेस्पो0 ने झगड़ा किया जिसके कारण थाना बोरखेड़ा द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से 20,000/– के जमानत मुचलके पर पाबन्द किया गया था । परन्तु दिनांक 11.10.2023 को पुनः रेस्पो0 ने झगड़ा किया जिसके कारण रेस्पो0 को थाना बोरखेड़ा द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय एसडीएम कोटा में पेश किया जहां से 50,000/– रूपये की जमानत मुचलके पर आजाद किया गया । नगर विकास न्यास कोटा द्वारा अपीलान्टा के नाम जारी पट्टा विलेख पत्र दिनांक 6.5.2005 एवं सार्वजनिक सूचना राजस्थान पत्रिका कोटा के समस्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर रखे है लेकिन इन दस्तावेजों के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने

जिला कलक्टर
कोटा

उक्त निर्णय में कोई कथन ही नहीं किया और अपीलान्टा का प्रकरण खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टा के प्रकरण को बिना युक्ति युक्त कारण के बंटवारे का प्रकरण मान कर खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि मकान नं0 164–।।, गोपाल विहार पुलिस लाइन कोटा की अपीलान्टा मालिक है जिसका पट्टा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है तथा उक्त मकान अपीलान्टा ने अर्जित आय व स्त्रीधन से खरीद किया है । उक्त मकान में रेस्पो0 का कोई हक व हिस्सा नहीं है इसके बावजूद भी अपीलान्टा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है । अपीलान्टा को रेस्पो0 के उक्त आपराधिक कृत्यों के कारण अपीलान्टा को उक्त वर्णित मकान के सम्बन्ध में अपनी जान माल का पूरा खतरा है जो उक्त वर्णित एक्ट के प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र का क्षैत्राधिकार प्राप्त है तथा अनुतोष प्राप्त करने की अपीलान्टा अधिकारी है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टा को शांति बनाये रखने हेतु पाबन्द का आदेश दिया है वह विधि सम्मत नहीं है । अपीलान्टा ने मद नं0 5 में अंकित दस्तावेजों का कथन अंकित किया है उससे रेस्पो0 द्वारा ही अपीलान्टा की शांति भंग की गयी प्रतीत होती है, उक्त वर्णित सारे दस्तावेज रेस्पो0 के खिलाफ है इसके बावजूद प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्टा स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 21.8.2024 निरस्त फरमाया जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपीलान्टा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिपक्षी रेस्पो0 को पाबन्द किया जावे कि वह मकान नं0 164 गोपाल विहार । पुलिस लाईन कोटा में प्रवेश नहीं करें, प्रार्थीया अपीलान्टा के साथ गाली गलोच, अभद्र व्यवहार कर मारपीट आदि नहीं करें ; प्रार्थीया के जीवन को संकटापन्न नहीं करें तथा इस बाबत पुलिस थाना बोरखेडा को प्रार्थीया की जान माल की सुरक्षा करने हेतु आदेशित किया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्टा ने अधीनस्थ न्यायालय में मेन्टेनेंस एवं वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है इस सम्बन्ध में अपीलान्टा की वार्षिक आय 233,156/– जिसकी पुष्टि में रेस्पो0 ने आयकर रिपोर्ट वर्ष 2022–23 प्रस्तुत की है । रेस्पो0 ने आगे कथन किया है कि स्व0 अविनाश कुमार महाजन जो रेस्पोडेंट के पिता है ने कोआ में अर्ध सरकारी सेवा में रहते हुए अपनी वैध आय से मकान खरीदा, मकान की रजिस्ट्री वृद्व पिता की पत्नी अपीलांटा के नाम की गई जो गृहिणी है । रेस्पोउेंट ने माता की बीमारी में सेवा एवं देखभाल पूरी निष्ठा से की है । पिता ने अपनी अर्जित आय से मकान खरीदा एवं एफडी में विनियोग किया । रेस्पोडेन्ट का दायित्व केवल माता का रख रखाव था, संपत्ति पर उसका कोई व्यक्तिगत आर्थिक दावा कभी नहीं रहा । अपीलान्टा के छोटे पुत्र प्रजेश महाजन ने माता को प्रभावित कर जो सेवा करेगा, उसी के नाम संपत्ति का भ्रम जमा । इस दौरान प्रजेश ने एफडी में अपना नाम ज्वॉइंट करवाया और रेस्पोडेन्ट को घर से बेदखल करने की योजना रची । दिनांक 26.8.2023 को रात्रि को झूंठे झगडे की रिपोर्ट तथा एफ आई आर दर्ज करवाई गई, जिससे रेस्पोडेंट को मकान खाली करने हेतु दबाव बनाया गया तथा दिनांक 10.10.2023 को अपीलान्टा एवं प्रजेश ने रेस्पोडेंट से पुनः गाली गलौच कर घर से बाहर निकाल दिया तथा पुलिस बुलाकर लॉकअप तक जाना पड़ा । अपीलांट एवं उनके पुत्र प्रजेश महाजन द्वारा रेस्पोडेन्ट से मकान खाली करने की धमकी देना, जबरन निष्कासन के लिए बाध्य करना ये कृत्य आईपीसी की धारा 503 एवं 506 तथा नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है जिनका संज्ञान लेने की प्रार्थना की जाती है । रेस्पोडेन्ट ने कोर्ट में लिखा कि एफ आई आर मात्र पक्षपातपूर्ण आरोप है, कोई वैधानिक पुष्टि नहीं , आरोप झूंठे और द्वेषपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टा की सहायता प्रार्थना को अस्पष्ट मानकर खारिज किया है । भविष्य में रेस्पोडेंट सिविल न्यायालय में संपत्ति संबंधी वैधानिक अधिकारों की विस्तृत विवेचना हेतु याचिका प्रस्तुत करने पर विचाररत है । अतः निवेदन है कि अपीलांटा की सभी अनिश्चित, मनगढन्त एवं द्वेषतापूर्ण याचिकांए खारिज की जांए अधीनस्थ न्यायालय

जिला कलक्टर
कोटा

का आदेश दिनांक 21.8.2024 यथावत रखा जाएं रेस्पोडेंट को शांतिपूर्ण आवास व आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए । अपीलान्टा को कोर्ट की ओर से नागरिक प्रकिया संहिता 1908 के अंतर्गत निर्देश जारी कर रोका जाए कि वह भविष्य में किसी भी अपील, याचिका या संचार के लिए रेस्पोडेंट की पूर्व पत्नी के पते का प्रयोग नहीं करें । रेस्पोडेन्ट को पुनर्वसन के अन्तर्गत पिता द्वारा अर्जित अचल संपत्ति में पुनः प्रवेश का अधिकार प्रदान किया जाए ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्टा ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 22(2) मेन्टीनेन्स एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने बड़े पुत्र रेस्पोडेन्ट द्वारा उनके साथ मारपीट करने एवं लड़ाई झगड़ा आदि करने के कारण उनके स्वअर्जित मकान नं0 164 गोपाल विहार।। पुलिस लाईन कोटा से बेदखली के प्रार्थना हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । जिस अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.08.2024 से इस आधार पर खारिज किया गया है कि उपरोक्त प्रकरण पारिवारिक एवं सम्पत्ति बंटवारे का होना प्रतीत होने से उक्त मकान से तथा अपीलांट ने भरण पोषण का अनुतोष नहीं चाहा जाने से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था । अपीलांट का प्रस्तुत अपील में कथन है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा उनके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करने के कारण उनके द्वारा बोरखेड़ा थाने में एफ आई आर नं0 422 दिनांक 26.8.2023 दर्ज कराई थी जिस पर थाना बोरखेड़ा द्वारा रेस्पोडेन्ट को अन्तर्गत धारा 107–151,116(3) सीआरपीसी के तहत इश्तगाशा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा में प्रस्तुत किया जहां से दिनांक 1.10.2023 को रेस्पो0 को 20,000/– जमानत एवं मुचलके पर पाबन्द किया गया था, इसी के साथ एक सार्वजनिक सूचना राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित कराई थी जिसमें अपीलांटा की सम्पत्ति से रेस्पोडेन्ट को बेदखल करने का उल्लेख किया था । तथा उक्त वर्णित मकान के पट्टा की प्रति प्रस्तुत की थी, जो अपीलान्टा के नाम है, सभी दस्तावेज जो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये थे, जिन पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नहीं किया जाना बताया है । अपीलान्टा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह तो स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त मकान अपीलान्टा के नाम है, किन्तु रेस्पोडेन्ट का कथन है कि उक्त मकान अपीलान्टा के पति एवं रेस्पोडेन्ट के पिता द्वारा अपनी आय से बनाया था जो उनकी पत्नि अपीलान्टा के नाम क्रय किया जाना बताया है । रेस्पोडेन्ट का यह भी कथन है कि अपीलान्टा केवल गृहणी है उनके पास कोई स्वअर्जित आय नहीं होकर उनके पति की आय से यह मकान बनाना बताया है । वास्तव में यह मामला पारिवारिक बंटवारे का ही प्रतीत होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.8.2024 में हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य पाते है ।

7. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.8.2024 में हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा